न्यायालय, समाहर्त्ता–सह–जिलादण्डाधिकारी, खगड़िया

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–22 / 2017–2018

राज्य बनाम गुड्डु कुमार एवं अन्य

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर [illegible] कार्रवाई के टिप्पणी [illegible] 3.
13.06.2017		

आदेश

बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–58 के अंतर्गत प्रश्नगत वाद, परबत्ता (भरतखंड) थाना कांड सं०–128 / 2017, दिनांक–14.04.2017 के सन्दर्भ में प्राप्त संबंधित थानाध्यक्ष परबत्ता (भरतखंड) के अधिहरण प्रस्ताव दिनांक–07.05.2017 के आलोक में प्रारंभ की गई है। पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के पत्रांक–1701 / सी.आर. दिनांक–10.05.2017 द्वारा भी थानाध्यक्ष परबत्ता (भरतखंड) के अधिहरण प्रस्ताव पर अनुशंसा सहित कार्रवाई प्रारंभ करने का अनुरोध किया गया है।

थानाध्यक्ष परबत्ता (भरतखंड) के अधिहरण प्रस्ताव में उल्लेख है कि संदर्भित प्राथमिकी से सम्बद्ध वाहन BR43F-8204, मोटर साईकिल है, जो दिनांक–14.04.2017 को अवैध रूप से प्लास्टिक के बोड़ी में कुट के कार्टुन में रखकर 180 एम0एल0 का 48 बोतल एवं 750 एम0एल0 का 05 बोतल बिदेशी शराब Royal Stage Classic Wisky ले जाने के क्रम में डयोढी चौंक पर पकड़ा गया। थानाध्यक्ष के अधिहरण प्रस्ताव में अंकित है कि उक्त मोटर साईकिल की जप्ती सूची बनाकर जप्त किया गया तथा प्राथमिकी के नामजद / अभियुक्तों को न्यायायिक हिरासत में भेज दिया गया।

जप्ती सूची के अनुसार उक्त मोटर साईकिल से प्लास्टिक के बोड़ी में कुट के कार्टुन में रखकर 180 एम0एल0 का 48 बोतल एवं 750 एम0एल0 का 05 बोतल बिदेशी शराब Royal Stage Classic Wisky बरामद किया गया। जप्ती सूची पर राज कुमार साह, पु0अ0नि0 का हस्ताक्षर है।

जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा द्वारा उपलब्ध कराये गये Screen Report से वाहन संख्या BR43F-8204, चेचिस नं0–ME4JC714EGT008931 के स्वामी रंजीत कुमार साह, पिता–लालो प्रसाद साह, ग्राम–सानकारी टोला वार्ड नं0–10, थाना+पो०–आलमनगर, जिला–मधेपुरा हैं।

प्राप्त अधिहरण प्रस्ताव के आलोक में सभी संबंधित को विधिवत सूचना निर्गत कर सुनवाई की निर्धारित तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया। दैनिक जागरण एवं प्रभात खबर के दिनांक–04.06.2017 के संस्करण में

प्रकाशित विज्ञापन के द्वारा भी प्रश्नगत मोटर साईकिल के स्वामी को उपस्थित होकर निर्धारित तिथि 08.06.2017 को समाहर्त्ता न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु निदेशित किया गया। वाहन स्वामी रंजीत कुमार साह द्वारा विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से 13.06.2017 को कारण–पृच्छा दायर किया गया।

कारण–पृच्छा में वाहन स्वामी द्वारा उल्लेख किया गया है कि निजी वाहन से अपनी बहन की ननद की शादी में सम्मलित होने के लिए आए थे। वाहन स्वामी के बहनोई उक्त मोटर साईकिल को शादी के कार्य हेतु मांगकर ले गये कि हमें कुछ बचा सामान लाना है। वाहन स्वामी ने विश्वास पर अपने बहनोई गुड्डु साह को गाड़ी दे दिया और कहा कि मेरी गाड़ी को इधर–उधर नहीं ले जाएगा तथा अवैद्यानिक कार्य नहीं करेगा। इस आधार पर वाहन स्वामी द्वारा मोटर साईकिल को मुक्त करने का अनुरोध किया गया

सुनवाई के क्रम में विशेष लोक अभियोजक द्वारा इस कांड में विधिवत की गई जप्ती एवं प्रश्नगत वाहन से जप्त शराब की मात्रा का उल्लेख करते हुए प्रश्नगत वाहन को अधिनियम की धारा–58(2) के अंतर्गत अधिहरण योग्य बताया गया है। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि सभी प्रतिवेदनों से यह स्पष्ट है कि उक्त वाहन शराब के कारोबार में संलिप्त था, जो संदर्भित अधिनियम अंतर्गत राज्य में पूर्णतः निसिद्ध होने के कारण संज्ञेय अपराध है।

विपक्षी को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिया गया तथा वे उपस्थित भी हुए और उनके द्वारा कारण–पृच्छा भी दायर किया गया। कारण पृच्छा में दर्शाये गये तथ्य व कारण अस्वीकार्य है। अतः कारण–पृच्छा अस्वीकार किया जाता है।

संदर्भित प्राथमिकी के साथ संलग्न जप्ती सूची तथा पुलिस अधीक्षक, खगड़िया के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रश्नगत वाहन का उपयोग विपक्षी द्वारा ईरादतन शराब के कारोबार के लिए किया जा रहा था, जो वर्तमान में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत संज्ञेय अपराध है तथा इसमें प्रयुक्त वाहन अधिहरण योग्य है।

बहस तथा अभिलेख के अवलोकन के आधार पर मैं संतुष्ट हूँ कि प्रश्नगत वाहन BR43F-8204, चेचिस नं0–ME4JC714EGT008931 मोटर साईकिल बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 के अंतर्गत अधिहरण किये जाने योग्य है। अतः निम्न आदेश दिया जाता है।

1. इस अपराध में प्रयुक्त वाहन BR43F-8204, चेचिस नं0–ME4JC714EGT008931 मोटर साईकिल, जो जप्त कर

आदेश की क्रम सं0 और तारीख 1.	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर 02.	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित 3.
	परबत्ता(भरतखंड) थाना में रखा हुआ है, का बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा–58(2) के अंतर्गत अधिहरण किया जाता है। अधिहरण किया जाने वाला वाहन किसी भी ऋण–भार से मुक्त होगा। साथ–ही लोकहित में आदेश दिया जाता है कि इस अधिनियम की धारा–58(5) के अंतर्गत सार्वजनिक निलामी के माध्यम से इसकी बिक्री की जाय 2. जिला परिवहन पदाधिकारी, खगड़िया को निदेश दिया जाता है कि थाना में जप्त वाहन BR43F-8204, चेचिस नं0–ME4JC714EGT008931 मोटर साईकिल का मोटरयान निरीक्षक, खगड़िया से मुआयना कराकर उसका मूल्यांकन प्रतिवेदन तीन दिनों के अंतर्गत समर्पित करेंगे। 3. सार्वजनिक निलामी की कार्रवाई उत्पाद अधीक्षक, खगड़िया की देख–रेख में की जायेगी और निलामी से प्राप्त धन–राशि सरकारी खजाने में विहित रीति से जमा की जायेगी। लेखापित एवं संशोधित समाहर्ता, खगड़िया। समाहर्ता, खगड़िया।	